



मध्यप्रदेश विधान सभा की कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

घोडश विधान सभा

नवम् सत्र

फरवरी-मार्च, 2026 सत्र

सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2026

(27 माघ, शक संवत् 1947)

[खण्ड- 9]

[अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2026

(27 माघ, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.}

अध्यक्ष महोदय- माननीय सदस्यगण अब, सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा, तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी.
(सदन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.)

11.08 बजे

(माननीय राज्यपाल महोदय का सदन में चल समारोह के साथ आगमन हुआ.)

11.09 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" का समूहगान

अध्यक्ष महोदय- अब राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् होगा. सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें.

(सदन में राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का छः छंदों सहित" समूहगान किया गया.)

11.12 बजे

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

राज्यपाल महोदय (श्री मंगुभाई पटेल)-

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

सभी सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ।

मध्यप्रदेश की षोडश (16वीं) विधानसभा के नवम सत्र में उपस्थित होकर इस गरिमामय सदन को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। (मेजों की थपथपाहट)

मध्यप्रदेश विधानसभा ने उल्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 17 दिसंबर 2025 को मध्यप्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने पर विचार के लिए आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में, लगभग 12 घंटे तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश हित में महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। सदन के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदार और आदर्श भूमिका और गहरी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र को निरंतर मजबूत और जीवंत बनाती है। (मेजों की थपथपाहट)

आज, हम इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर में खड़े हैं, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने "अमृतकाल" की संज्ञा दी है। इसी अमृत काल में मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश के दीर्घ कालिक और समग्र विकास की ठोस नींव रखते हुए "समृद्ध मध्यप्रदेश @2047- दृष्टिपत्र" तैयार किया है। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश वासियों की सहभागिता, सुझावों और आकांक्षाओं से उपजा एक सामूहिक संकल्प है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है—वर्ष दो हजार सौंतालीस तक मध्यप्रदेश को एक समृद्ध, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में

स्थापित करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त और गतिशील बनाते हुए जीएसडीपी को दो सौ पचास लाख करोड़ रुपये से अधिक तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया है, ताकि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार बन सके।

मेरी सरकार ने वर्ष 2025 को 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' के रूप में मनाया। इस वर्ष प्रदेश ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

प्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्कलेव, राष्ट्रीय रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए। जिनमें 11.09 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे प्रदेश में नए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। (मेजों की अपथपाहट)

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025 और निर्यात संवर्धन नीति 2025 लागू की गई। इन नीतियों के माध्यम से विशेष रूप से, भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी 2025 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया। साथ ही वर्षभर कुल 44 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदेश ने आयोजन एवं भागीदारी कर निवेशकों को जोड़कर निवेश आकर्षित किया। (मेजों की अपथपाहट)

स्थानीय उद्योग और शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) पहल और भौगोलिक संकेत (GI Tag) कार्यक्रम लागू किए गए। वर्ष 2025 में प्रदेश के कुल छह प्रमुख उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) रैकिंग में मध्यप्रदेश हमेशा से ही प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल रहा है। भारत सरकार की Compliance Reduction & Deregulation Exercise में मध्यप्रदेश ने 23 में से सभी 23 Priority Areas में सुधार कर लिए हैं। बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के इम्प्लमेंटेशन के लिए मध्यप्रदेश को 04 श्रेणियों में टॉप अचीवर केटेगरी में रखा गया है। मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025, 26 अगस्त 2025 को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 12 विभागों के 20 अधिनियमों के 44 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया। औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 48 औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें आईटी पार्क, प्लग एण्ड प्ले पार्क, फ्लेटेड इंडस्ट्रीज एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर वृहद निवेश आकर्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए 04 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कार्य प्रगतिशील चरण में है।

माननीय सदस्यों, यह वर्ष केवल औद्योगिक निवेश और रोजगार का नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधारों, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास और स्थानीय उत्पादों के वैश्विक मंच पर उत्थान का भी वर्ष रहा। मेरी सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदेश को विश्वसनीय, निवेश अनुकूल और प्रगतिशील गंतव्य बनाते हैं। हमारी इष्ट आने वाले वर्षों में प्रदेश को ऐसा औद्योगिक, निवेश और निर्यात केंद्र बनाने की है, जहाँ नवाचार, वैश्विक निवेश और स्थानीय कौशल का संतुलित विकास सुनिश्चित हो।

मेरी सरकार मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है। निवेशक-अनुकूल नीतियों और मजबूत औद्योगिक अधीसंरचना के माध्यम से प्रदेश में एमएसएमई इकोसिस्टम का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। पारदर्शी शासन की दिशा में एमएसएमई इकाइयों को अनुदान का ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2026 तक 1 हजार 707 से अधिक इकाइयों को 750 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 8 हजार 800 से अधिक हितग्राहियों को 606 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

प्रदेश में 23 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित हैं, जिनसे 1 करोड़ 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। साथ ही, प्रदेश में 6 हजार 670 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कार्यरत हैं, जिनमें से 47 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं। उद्यमियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 हजार से अधिक भू-खण्ड ऑनलाइन प्रक्रिया से उपलब्ध कराए गए हैं। GIS-2025 के माध्यम से 9 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 37 हजार से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, स्टार्टअप समिट और रोजगार-कौशल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे उद्यमिता, नवाचार और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 की परिकल्पना के अंतर्गत मेरी सरकार द्वारा हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र को रोजगार, निर्यात और सांस्कृतिक पहचान का सशक्त आधार बनाने संस्थागत

प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, बाजार विस्तार और नवाचार पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र आजीविका और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान में 17 हजार 806 कार्यशील करघों के माध्यम से चंदेरी एवं महेश्वरी साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल, बेडशीट तथा शासकीय उपयोग के वस्तों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 34 हजार 222 बुनकरों को प्रत्यक्ष रोजगार समर्थन प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2025-26 के दौरान बुनकरों एवं शिल्पियों को प्रशिक्षण, उपकरण सहायता एवं विपणन के अवसर उपलब्ध कराए गए तथा मेलों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजार से जोड़ा गया। एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सीधी की दरी एवं कारपेट, अशोकनगर की चंदेरी हैंडलूम, भोपाल की जरी-जरदोजी, धार का बाघ प्रिंट, सीहोर के लकड़ी के खिलौने एवं उज्जैन की बाटिक प्रिंट को विशेष पहचान प्रदान की गई है। बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत जीवन, दुर्घटना एवं दिव्यांगता बीमा कवर प्रदान किया गया है।

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार ने खनिजों के वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं सतत दोहन को प्राथमिकता देते हुए मध्यप्रदेश को खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। खनिज अन्वेषण को गति देते हुए एनएमईटी, जीएसआई एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से 60 से अधिक अन्वेषण कार्य प्रचलन में हैं, जिनमें स्वर्ण, हीरा, क्रिटिकल मिनरल एवं रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। सरकार ने खनिज नीलामी में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। वर्ष 2015 से अब

तक 121 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मध्यप्रदेश को State Mining Readiness Index में A श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई-चेकगेट, सैटेलाइट सर्विलांस एवं राज्य स्तरीय कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। पत्रा के विश्वविच्छात हीरे को GI टैग प्राप्त होना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

देश की आंतरिक सुरक्षा की वृष्टि से वामपंथी उग्रवाद एक दीर्घकालिक चुनौती रहा है। मध्यप्रदेश के कुछ जिले भी विगत 35 वर्षों से इस समस्या से प्रभावित थे। सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, सशक्त रणनीति तथा मध्यप्रदेश पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से दिसंबर 2025 तक प्रदेश को पूर्णतः नक्सल-मुक्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। यह लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा 31 मार्च 2026 से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। वर्ष 2025 में 10 उग्रवादी मुठभेड़ों में मारे गए तथा 13 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इससे प्रभावित क्षेत्रों में भय का वातावरण समाप्त हुआ और विकास के नए द्वार खुले।

मेरी सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। नवीन आपराधिक कानूनों को पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और तकनीकी आधार उपलब्ध कराया है। इन कानूनों के क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय निगरानी से त्वरित, पारदर्शी और पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रणाली को बल मिला है। दो माह की समय-सीमा में चालान प्रस्तुत करने की व्यवस्था के अंतर्गत मध्यप्रदेश वर्ष 2025 में बड़े राज्यों में द्वितीय स्थान पर रहा।

जनसुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मेरी सरकार द्वारा संवाद के माध्यम से धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के अनियंत्रित उपयोग को नियंत्रित किया गया। पर्व-त्योहारों, आंदोलनों और संवेदनशील अवसरों के दौरान पुलिस की सतर्कता से प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहा और कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। साइबर हेल्पलाइन, त्वरित कार्रवाई और जनजागरूकता अभियानों से नागरिकों को राहत मिली है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए "ऑपरेशन मुर्स्कान", महिला सुरक्षा फीडबैक प्रणाली और "अभिमन्यु" जागरूकता अभियान प्रभावी सिद्ध हुए हैं, जिनसे वर्ष 2025 में हजारों बालिकाओं की सुरक्षित दस्तयाबी संभव हुई।

मेरी सरकार द्वारा 14 अगस्त 2025 से डायल-112 एकीकृत आपातकालीन सेवा प्रारंभ की गई है, जो अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित 1200 एफआरवी के माध्यम से 24 घंटे कार्यरत है। यह सेवा स्वास्थ्य, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन सेवाओं से पूर्णतः एकीकृत है। सेफ सिटी परियोजना, सीसीटीवी निगरानी, ई-चालान, आईटीएमएस और डिजिटल भुगतान व्यवस्थाओं ने पुलिस सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है।

मेरी सरकार ने वर्ष 2026 को "समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश" की समावेशी थीम पर किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास, रोजगार सृजन तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से तीन वर्षीय कार्ययोजना के अनुरूप वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिनांक 11 जनवरी 2026 को कृषक कल्याण वर्ष का शुभारंभ किया गया। (मेजों की अपथपाहट)

मेरी सरकार ने किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों का वितरण, आधुनिक एवं डिजिटलीकृत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, प्राकृतिक एवं जैविक खेती का विस्तार, कृषि स्टार्टअप एवं एफपीओ आधारित रोजगार शृंखला का विकास, जिला-आधारित कृषि कलस्टर तथा फसल विविधीकरण को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। इस क्रम में दिनांक 22 जनवरी 2026 को संबंधित विभागों, किसान संगठनों, अनुसंधान संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता से राउंड टेबल कानफ्रेंस आयोजित की गयी तथा myGov पोर्टल के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए।

किसानों को उर्वरकों की समय पर एवं पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने मेरी सरकार ने "ई-विकास (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान)" लागू किया है। इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से ई-टोकन द्वारा उर्वरक वितरण किया जा रहा है, जिससे लंबी कतारों, कालाबाजारी एवं बिचौलियों की भूमिका पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। प्रारंभ में तीन जिलों में लागू यह प्रणाली अब सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित की जा चुकी है। विकासखंड स्तर पर 263 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है।

मेरी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 1 हजार 513 कलस्टरों में 75 हजार 650 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग एक लाख 89 हजार 125 कृषकों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक कृषक को 4 हजार प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे खेती की लागत में कमी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है।

कृषकों को मूल्य जोखिम से संरक्षण प्रदान करने भावांतर भुगतान योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। वर्ष 2025-26 में सोयाबीन फसल के लिए 9 लाख 36 हजार कृषकों का पंजीयन किया गया तथा 6 लाख 44 हजार कृषकों को 1 हजार 292 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है।

मेरी सरकार ने खरीफ एवं रबी फसलों के उपार्जन को भी प्राथमिकता दी है। वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूँग का 7 लाख 72 हजार मीट्रिक टन उपार्जन किया गया, जबकि चना, मसूर एवं सरसों का 3 लाख 62 हजार मीट्रिक टन उपार्जन सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक 6 लाख 69 हजार कृषकों को 337 करोड़ 12 लाख से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। श्रीअन्न को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रानी दुर्गाविता श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 16 जिलों में कोदो-कुटकी का उपार्जन एफपीओ के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें किसानों को प्रति किंटल 1 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। नरवाई प्रबंधन, कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना, सेटेलाइट आधारित फसल आंकलन, प्राकृतिक खेती मिशन, ई-नाम, एग्री-स्टैक तथा एम.पी. किसान मोबाइल एप जैसे डिजिटल नवाचारों से कृषि विकास को सुदृढ़, पारदर्शी एवं किसान-केंद्रित बना रही है।

राज्य सरकार द्वारा "समृद्ध मध्यप्रदेश-2047 विज्ञन डॉक्यूमेंट" के अंतर्गत उद्यानिकी क्षेत्र को विकसित भारत की दिशा में एक सशक्त आधार बनाया जा रहा है। उद्यानिकी उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है — प्रदेश का रकबा 27 लाख 29 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 28 लाख 42 हजार हेक्टेयर

तथा उत्पादन 409 लाख 30 हजार से 425 लाख 84 हजार मीट्रिक टन हो गया है। कृषक कल्याण वर्ष 2026-27 के रूप में मनाए जा रहे इस वर्ष का शुभारंभ भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान से किया गया। उद्यानिकी को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में वर्ष 2025-26 में 3 हजार 450 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर 127 करोड़ से अधिक की अनुदान सहायता दी गई। सिंचाई के क्षेत्र में “पर छाँप मोर क्रॉप” योजना से 23 हजार 757 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित कर 21 हजार 502 कृषकों को लाभान्वित किया गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 15 हजार 983 हितग्राहियों को 40 करोड़ 43 लाख 86 हजार से अधिक की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्य पोषित योजनाओं में फल पौध रोपण में हितग्राहियों को 408 लाख से अधिक रूपये एवं मसाला क्षेत्र विस्तार हितग्राहियों को 340 लाख 53 हजार से अधिक एवं संरक्षित खेती तहत 26 हितग्राहियों को 47 लाख 82 हजार से अधिक रूपये की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है।

मेरी सरकार ने पशुपालन को केवल जीवन निर्वाह का साधन नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि का आधार बनाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिए कई अभिनव योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्यगर्भ अभियान, क्षीर धारा ग्राम योजना एवं स्वावलंबी गौशालाएँ-कामधेनु निवास जैसी योजनाओं से प्रदेश में उन्नत नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन वृद्धि और पशुपालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना में अब एक हितग्राही द्वारा 25 से 200 दुधारू पशुओं तक की डेयरी इकाई स्थापित

की जा सकती है। पशुपालकों को आधुनिक तकनीक जैसे कृत्रिम गर्भाधान, सेक्सड सॉर्टिंग सीमन, IVF और ETT प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, 6 लाख 50 हजार पशु पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए गौमूत्र, गोबर और जैविक खाद के उत्पादन से किसानों को गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक खाद उपलब्ध कराई जा रही है। स्वावलंबी गौशालाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 5 हजार गौवंशीय पशुओं का पालन कर जैविक खाद, पंचगव्य और बायोगैस उत्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही, प्राकृतिक खेती और जैविक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, PROM, FOYM, और अमृत पानी का उत्पादन कर किसानों को आय का नया स्रोत प्रदान किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप के तहत पशुपालन विभाग की 27 प्रमुख गतिविधियों को चिन्हांकित किया है। इन गतिविधियों में कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत डेयरी इकाई, नवाचार प्रशिक्षण, नस्त सुधार, दुग्ध सहकारिता और पशु बीमा शामिल हैं। नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर 26 हजार ग्रामों तक कवरेज बढ़ाकर प्रदेश के दुग्ध संकलन को 52 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही Breeder Association के माध्यम से उन्नत नस्लों का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार की दूरदर्शिता से अब मध्यप्रदेश देश की दूध की राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है और पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं बल्कि रोजगार, आय और पोषण का एक मजबूत आधार बन रहा है।

प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए उपलब्ध जलक्षेत्र का 99 प्रतिशत भाग मत्स्य पालन में लाया जा चुका है। इससे मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और निजी भागीदारी भी बढ़ी है। वर्ष 2024-25 में मत्स्य बीज उत्पादन में 92 प्रतिशत और मत्स्य उत्पादन में 98 प्रतिशत उपलब्ध प्राप्त की गई। वर्ष 2025-26 में दिसम्बर तक 218 करोड़ मत्स्य बीज और 3 लाख मीट्रिक टन मत्स्योत्पादन हो चुका है। मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अब तक 1 लाख 63 हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालकों को मिले हैं। साथ ही 1 लाख 27 हजार से अधिक मत्स्य पालकों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कराया गया है। बंद ऋतु में 44 हजार से अधिक मत्स्य पालकों को बचत-सह-राहत योजना से लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुँचा है।

मेरी सरकार 'समृद्ध मध्यप्रदेश@2047' के विज्ञन को साकार करने सहकारिता के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। सहकारिता के विस्तार के लिए राज्य में पैक्स (PACS), मत्स्य एवं डेयरी समितियों की संख्या को दोगुना करने तथा सहकारी साख संस्थाओं से जुड़े कृषकों की भागीदारी को भी दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों की आर्थिक सुवृद्धता के लिए अल्पावधि फसल ऋण वितरण को वर्तमान 19 हजार 946 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 हजार करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। बुनियादी ढाँचे को मजबूती देते हुए प्रात्येक प्राथमिक सहकारी समिति में कम से कम 500 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता सुनिश्चित की जा रही है।

सहकारिता के क्षेत्र में आधुनिक निवेश और नवाचार लाने के उद्देश्य से 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' में C-PPP (लोक उद्यम,

व्यक्तिगत उद्यम एवं कौशल की सहभागिता) के माध्यम से एक नवीन आयाम स्थापित किया गया है, जिसके फलस्वरूप सहकारिता क्षेत्र में 2 हजार 305 करोड़ रुपये के 19 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 94 प्रतिशत संस्थाओं का ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है और समितियों का कंप्यूटरीकरण तीव्र गति से जारी है। किसानों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने 'एमपी चीता' (MP CHEETAH) ब्रांड के माध्यम से सहकारिता को एक नई व्यावसायिक पहचान दी गई है।

मेरी सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद और Integrated Farming Cluster योजनाओं के माध्यम से 25 हजार से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर, एआई डैशबोर्ड और ड्रोन निगरानी के योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की है। प्रदेश की ये उपलब्धियाँ केवल रोजगार और विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और जल संरक्षण के माध्यम से हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर महिला को सम्मान और हर गांव को समृद्धि देने के संकल्प के साथ कार्यरत है। पंजीकृत 64 लाख 14 हजार जॉबकार्डधारी परिवारों में से 37 लाख 82 हजार परिवारों के 56 लाख 28 हजार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिससे 16 करोड़ 66 हजार मानव-दिवस का सृजन हुआ। अनुसूचित जनजाति परिवारों को 5 करोड़ 16 हजार मानव-दिवस का रोजगार प्रदान कर मेरी सरकार पूरे देश में अग्रणी बनी। इसी दौरान 5 लाख 58 हजार कार्य पूर्ण और 10 लाख 55 हजार कार्य प्रगतिरत हैं, जिससे ग्रामीण अधीसंरचना मजबूत हुई और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। मनरेगा

अब नए स्वरूप में "विकसित भारत G-RAM-G" के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ा जा रहा है और ग्रामीण अधोसंरचना को सशक्त बनाया जा रहा है।

जल संरक्षण के क्षेत्र में मेरी सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान और अमृत सरोवर निर्माण के तहत 86 हजार खेत तालाब और 548 जलाशयों के निर्माण से सिंचाई की सुविधा बढ़ी और किसानों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के माध्यम से 604 जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य पूर्ण किए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मेरी सरकार द्वारा "एक बड़ी माँ के नाम", लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाओं के माध्यम से 34 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह की महिलाओं की भूमि पर फलदार पौधारोपण कार्य प्रारंभ किए गए। अब तक 58 लाख 70 हजार परिवार स्व-सहायता समूह से जुड़े हैं। म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत मेरी सरकार द्वारा 4 लाख समूह सदस्य लखपति श्रेणी में लाए गए और 2 हजार 362 करोड़ 45 लाख रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया।

स्वच्छता के क्षेत्र में मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 99% से अधिक ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाया। इस वर्ष 45 हजार 655 पारिवारिक और 442 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। "वॉश ऑन व्हील" और मिशन पिंक टॉयलेट परियोजनाओं के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वच्छता सुनिश्चित की गई। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत 87 हजार 935 शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं में 39 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया गया।

ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दूरस्थ गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सङ्करण योजना से संपर्कता दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मेरी सरकार ने अब तक 50 लाख 11 हजार आवास स्वीकृत किए, जिनमें 41 लाख 44 हजार आवास पूर्ण कराए गए। पीएम जन अभियान के तहत अब तक 1 लाख 85 हजार आवास स्वीकृत कर 1 लाख 35 हजार आवास पूर्ण कराये गये हैं। आवास पूर्णता में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। (मेजों की अपशपाहट)

प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के विकास, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए सुनिश्चित किया है कि विद्युत केवल उपलब्ध ही न हो, बल्कि वह गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती भी हो। आज प्रदेश में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश की विद्युत उपलब्ध क्षमता 25 हजार 514 मेगावाट तक पहुँच चुकी है और रबी सीजन में 19 हजार 895 मेगावाट की ऐतिहासिक शीर्ष मांग की सफलतापूर्वक पूर्ति की गई है। यह प्रदेश के ऊर्जा प्रबंधन की एक बड़ी उपलब्धि है।

प्रदेश में किए गए अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण कार्यों के परिणाम स्वरूप प्रदेश की पारेषण हानियां घटकर मात्र 2 दशमलव 60 प्रतिशत रह गई हैं, जो देश में न्यूनतम हानियों में से एक है। दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए मेरी सरकार ने 4 हजार मेगावाट ताप विद्युत क्रय की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की है, जिससे लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 12 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही सतपुड़ा (सारनी) एवं अमरकंटक (चचाई) में 660 मेगावाट की नई इकाइयों को स्वीकृति दी गई है, जिनसे वर्ष 2030-31 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रस्तावित है।

उपभोक्ता हित मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। अटल कृषि ज्योति योजना से लगभग 26 लाख कृषक लाभान्वित हो रहे हैं, वहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लगभग 3 लाख छोटे किसानों को निःशुल्क विद्युत प्रदान की जा रही है। "समाधान योजना 2025-26" के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को सरचार्ज में बड़ी राहत मिली है। PM-JANMAN और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण को गति मिली है। स्मार्ट मीटरिंग, नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं और निजी निवेश के लिए टीबीसीबी मॉडल प्रदेश को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मेरा प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति-2025, पंप हाइड्रो परियोजना क्रियान्वयन योजना 2025 तथा बायोगैस परियोजना क्रियान्वयन योजना 2025 जैसी प्रभावी नीतियाँ लागू की गई हैं। वर्ष 2012 में जहाँ प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता मात्र 491 मेगावाट थी, वहाँ आज यह बढ़कर लगभग 9 हजार 508 मेगावाट हो गई है। बीते बारह वर्षों में लगभग बीस गुना की यह वृद्धि प्रदेश की दूरदर्शी ऊर्जा नीति का प्रमाण है। पिछले वर्ष 1 हजार 330 मेगावाट क्षमता का आगर-शाजापुर-नीमच सोलर पार्क तथा 278 मेगावाट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना पूर्ण की गई है, जो देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। साथ ही नीमच में 170 मेगावाट सौर क्षमता विकसित की गई है, जिसमें 2 दशमलव 15 प्रति यूनिट का ऐतिहासिक न्यूनतम टैरिफ प्राप्त हुआ है।

मेरी सरकार सौर ऊर्जा के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना में 440 मेगावाट सौर क्षमता एवं 4 घंटे की भंडारण व्यवस्था विकसित की गई है, जिसमें 2 दशमलव 70 रुपये प्रति यूनिट का प्रतिस्पर्धी टैरिफ प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री कुसुम-सी योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 4 हजार मेगावाट क्षमता की विकेन्द्रीकृत सौर परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। वहाँ, लगभग 1 हजार 300 शासकीय भवनों पर RESCO मॉडल के माध्यम से सोलर रूफटॉप परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ बिजली व्यय में बचत सुनिश्चित होगी। पंप स्टोरेज नीति के अंतर्गत प्रदेश में 14 हजार 650 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनसे लगभग 88 हजार 865 करोड़ का निवेश संभावित है। बायोफ्यूल स्कीम-2025 के अंतर्गत बायोगैस एवं सीबीजी परियोजनाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

मेरी सरकार 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने राजस्व सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। नागरिकों की सुविधा के लिए पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण, आधार आधारित पहचान और CORS जैसी आधुनिक तकनीक से स्टीक सीमांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि विशेष महाभियानों के माध्यम से अब तक एक करोड़ से अधिक राजस्व प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। MP Bhulekh, SAARA पोर्टल और किसान App जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं ने सेवाओं को पारदर्शी और सुलभ बनाया है।

प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व योजना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को पहली बार उनके आवास का मालिकाना हक प्रदान किया गया है। अब तक 40 हजार से अधिक ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूर्ण हो चुका है, जिसके आधार पर लाभार्थियों को बैंकों से 175 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हुए हैं। 'एग्री स्टेक' परियोजना में एक करोड़ से अधिक यूनिक फार्मर आईडी बनाकर मध्यप्रदेश, भारत सरकार से शत-प्रतिशत इंसेटिव प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य बना है। इसके साथ ही, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है।

मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से देश की प्रथम अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना – केन-बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण अंतर्गत दौधन बांध का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को किया गया। इस परियोजना से मध्यप्रदेश में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई, 126 एम.सी.एम. जल से 10 जिलों की 41 लाख आबादी को पेयजल सुविधा तथा 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन सुनिश्चित होगा। परियोजना से छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी के 42 ऐतिहासिक तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सरकार द्वारा विकास के ठोस और परिणामोन्मुख प्रयास किए जा रहे हैं।

अंतर्राजीय नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल तथा मेगा ताप्ती रिचार्ज जैसी योजनाओं से लगभग 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई तथा 80 लाख से अधिक नागरिकों को पेयजल सुविधा को सुनिश्चित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से 130 मेगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ऐतिहासिक जल संरचनाओं का संरक्षण एवं क्षेत्रीय जल संतुलन सुदृढ़ होगा।

सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन एवं निर्मल-अविरल शिप्रा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा को कान्ह नदी के दूषित जल से बचाने 919 करोड़ रूपये से अधिक की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य 52 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरा किया जाएगा। शिप्रा के सतत प्रवाह के लिए 614 करोड़ रूपये से अधिक की सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी योजना 62 प्रतिशत पूर्ण है। सिंहस्थ में स्नान सुविधा के लिए शिप्रा के दोनों तटों पर लगभग 30 किमी लंबाई में 778 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से घाटों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही शिप्रा नदी परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है जिससे सिंहस्थ-2028 के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

प्रदेश में “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” की भावना के अनुरूप ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से 24 परियोजनाओं के अंतर्गत 5 लाख 74 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है, जिससे 1 हजार 673 ग्रामों के 8 लाख 79 हजार कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2025-26 में 6 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आगामी चार वर्षों में 19 लाख 73 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित किए

जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नर्मदा धाटी विकास विभाग द्वारा छह नवीन उद्घाटन माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं सहित अन्य परियोजनाओं पर लगभग 10 हजार 818 करोड़ रुपये की लागत से 3 लाख 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है, जिससे 656 ग्रामों के किसान लाभान्वित होंगे।

मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से “जल जीवन मिशन” के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन से प्रदेश के 24 हजार 411 ग्रामों को “हर घर जल” घोषित किया जा चुका है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 लाख 75 हजार हैंडपंपों के माध्यम से भी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 लाख 93 हजार से अधिक घरेलू नल कनेक्शन स्थापित किए गए हैं और ग्रामीण बस्तियों में 2 हजार 895 नए हैंडपंप लगाए गए हैं। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्तमान में प्रदेश के 81 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों, अर्थात् 73 प्रतिशत से अधिक परिवारों को नल से जल की सुविधा प्राप्त हो रही है।

मेरी सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पेयजल की दीर्घकालिक एवं सतत व्यवस्था के लिए सतही स्रोत आधारित वॉटर ग्रिड के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे भूजल पर निर्भरता कम होगी और वर्षभर निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। समूह जल प्रदाय योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है तथा ऊर्जा लागत को कम करने सौर

एवं पवन ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जल संरक्षण, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और जल गुणवत्ता के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मेरी सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

मेरी सरकार जनजातीय परिवारों के सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज की नई पीढ़ी के शैक्षणिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 94 सांदीपनि विद्यालय संचालित किया जा रहे हैं। इन विद्यालयों के नये भवन तैयार हो रहे हैं। जनजाति बहुल क्षेत्रों में 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 25 हजार विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईआईटी एवं नीट के लिए कोचिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। जनजातीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण किया जा रहा है।

11.20 बजे

अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय राज्यपाल जी का भाषण ही रिकॉर्ड में रखे जाने संबंधी

अध्यक्ष महोदय -- मेरा प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की गरिमा बनाए रखें। परम्परा को तोड़ना उचित नहीं है। माननीय राज्यपाल जी का भाषण ही रिकॉर्ड में रहेगा बाकी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रहेगा।

(व्यवधान).....

नेता प्रतिपक्ष (श्री उमंग सिंघार) -- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- अभी धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया अपने स्थान पर बैठें. (व्यवधान)

श्री उमंग सिंधार -- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी को अपना विषय रखने की अनुमति मिलेगी. हमारे पास अवसर है. हम चर्चा कर सकते हैं. कृपया राज्यपाल जी के अभिभाषण को पूर्ण होने दें. कृपया मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. आपको बोलने का अवसर मिलेगा तब अपनी बात रखियेगा. प्लीज. (व्यवधान)....

श्री सोहनलाल बाल्मीकी-- (XXX)

श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- सोहन जी समय आएगा तो आपको बात रखने का अवसर मिलेग. राज्यपाल जी की बात पूरी होने दीजिए. आप सभी को विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा. (व्यवधान)....

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को-- (XXX)

श्री भंवरसिंह शेखावत (बाबुजी)-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- मेरा सभी प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है. कृपया राज्यपाल जी का भाषण पूर्ण होने दें. सभी को विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा. (व्यवधान)....

राज्यपाल महोदय (श्री मंगुभाई पटेल)-

मेरी सरकार जनजाति वर्ग की स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कृपोषण से मुक्ति दिलाने इन परिवारों की दो लाख से ज्यादा मुखिया महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1 हजार 500 रूपये दिए जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए मेरी सरकार ने 2 लाख 70 हजार दावों को मान्यता दी है और 3 लाख 62 हजार से ज्यादा का परीक्षण किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उल्कर्ष अभियान के अंतर्गत 18 लाख 58 हजार जनजाति परिवारों को लाभ दिया

जायेगा। पीएम जनमन योजना में 24 जिलों के अत्यंत पिछड़े जनजातीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। परिवारों को सरकारी सहायता देते हुए उनके आधार कार्ड बनाए गए हैं। जनधन बैंक खाता, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि और राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज तैयार किए गए हैं।

मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए 1 हजार 913 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 95 हजार से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना से प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई से बंचित न रहे। कक्षा 1 से महाविद्यालय तक अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान और आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक कर दिया है। शासकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। विगत दो वर्षों में 49 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 2 हजार 283 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2025-26 में 12 नए छात्रावास भवन पूर्ण किए गए हैं तथा 9 निर्माणाधीन छात्रावास इसी वर्ष पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही 24 बालिका एवं 24 बालक छात्रावासों के निर्माण के लिए 120-120 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए बस्ती विकास योजना में 60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही 2 हजार 444 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल कर प्रति ग्राम

20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

मेरी सरकार ने सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं समावेशी विकास के क्षेत्र में सशक्त पहल करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में समान अवसर उपलब्ध कराने अन्य पिछड़ा वर्ग युवा प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना का संकल्प लिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

मेरी सरकार ने जैन समाज के कल्याण के लिए जैन कल्याण बोर्ड का गठन कर आदेश जारी किया है। बोर्ड के परामर्श से जैन संतों के चातुर्मास के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। मेरी सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्रों के समयबद्ध वितरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके अंतर्गत जन्म प्रमाण-पत्र के साथ अथवा कक्षा आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रमाण-पत्र प्रदाय करने की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जा रहा है।

मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 7 लाख 50 हजार विद्यार्थियों को 100 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की है। राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 27 लाख 69 हजार विद्यार्थियों को 200 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 41 विद्यार्थियों को

लाभान्वित किया गया है तथा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल 826 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में पाँच परियोजनाओं के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय यूनानी कॉलेज में 180 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण पूर्ण किया गया है। भविष्य की दृष्टि से, सामाजिक समावेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी कल्याण योजनाओं तथा युवाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने के लिए सतत रूप से प्रतिबद्ध है, ताकि प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त हो सके।

समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी में पिछले पांच वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 में 9 लाख 5 हजार किसानों से 77 लाख 74 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 7 लाख 62 हजार किसानों से 51 लाख 74 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिनका भुगतान क्रमशः 20 हजार 213 करोड़ रुपये से अधिक और 11 हजार 744 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। गेहूं पर बोनस राशि 1 हजार 360 करोड़ रुपये किसानों को अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई। प्रदेश में कुल भंडारण क्षमता 431 लाख 24 हजार मीट्रिक टन है, जिसमें गोदामों में दिसंबर 2025 तक 119 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न सुरक्षित रूप से भंडारित है।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 26 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 450 रुपये में रिफिल उपलब्ध कराया गया, जिससे पिछले दो वर्षों में

628 लाख 23 हजार रिफिल वितरित किए गए। PDS हितग्राहियों के eKYC की दर बढ़कर 93% (5 करोड़ से अधिक) हो गई है और नवीन लाभार्थियों को पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मेरी सरकार ने मैयशचर, पश्चिमी और इंस्पेक्शन एप के माध्यम से गोदाम गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग लागू की है, साथ ही SMS और POS आधारित सूचना प्रणाली से लाभार्थियों को राशन वितरण की जानकारी समय पर प्राप्त होती है।

मेरी सरकार "समृद्ध मध्यप्रदेश@2047" के विज्ञन के अनुरूप सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता के लिए संस्था Atypical Advantage के साथ 2 दिसंबर 2025 को एम.ओ.यू. किया गया है, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत लगभग 2 हजार 589 दिव्यांगजनों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रदान की गई है। उभयलिंगी व्यक्तियों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए इंदौर में 'गरिमा गृह' संचालित कर रही है।

सरकार ने विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु समुदायों के परिवारों का चिन्हांकन एवं पंजीकरण कर विभागीय पोर्टल विकसित किया है, जिससे पात्र परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा से लेकर पोस्ट मैट्रिक स्तर तक छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 करोड़ 7 लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों को प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, 29 जिलों में संचालित 118 छात्रावास एवं आश्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों

को निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सामुदायिक विकास के लिए बस्ती विकास योजना से इन समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

पिछड़े और कमजोर वर्गों के साथ-साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए, श्रमिक कल्याण की संपूर्ण प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के पात्रों तक पहुँच सकें। इस सुदृढ़ व्यवस्था का ही परिणाम है कि वर्ष 2025-26 में दिसंबर माह तक, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख 69 हजार 855 हितग्राही श्रमिकों को 885 करोड़ 7 लाख रुपये की सहायता राशि से लाभान्वित किया जा चुका है।

मेरी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज 5 करोड़ 38 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को राज्यभर में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 5 करोड़ 25 लाख लाभार्थियों को 66 लाख 25 हजार मीट्रिक टन राशन के वितरण के माध्यम से 22 हजार 800 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों के 7 लाख 25 हजार परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराते हुए उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को क्रमशः 35 किलो प्रति परिवार और 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

मेरी सरकार ने 28 हजार से अधिक उचित मूल्य दुकानों के संचालन को सुदृढ़ और नए प्रदाय केन्द्रों की संख्या 269 से बढ़ाकर 308 कर वितरण में समय और लागत की बचत की है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत 896 परिवहनकर्ताओं को प्रतिमाह 15 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। दुकानों को ऑनलाइन प्रतिमाह लगभग 25 करोड़ रुपये कमीशन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। चावल फोर्टिफिकेशन योजना के माध्यम से ICDS, मिड-डे मील, अंत्योदय रसोई और अन्य कल्याण योजनाओं में पोषण स्तर को सुधारने का कार्य किया गया है।

दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800233-4397 का संचालन आरूषि संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 अनुसार निराश्रित निधि से दिव्यांगजन खेल प्रोत्साहन में प्रतिभागियों को राशि 5-5 लाख रुपये प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। उच्च न्यायालय जबलपुर अंतर्गत गठित जे. जे.सी कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश में 01 से 18 वर्ष के दिव्यांगजनों के प्रथम बार चिन्हांकन के लिए स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं एवं विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं एवं अधिनियमों की वृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए ब्रेल लिपि में बुकलेट तैयार की गई है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आधार ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरांत वृद्धजन, दिव्यांगजन, कल्याणी, परित्यक्ता एवं अविवाहित महिलाओं सहित 54 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रतिमाह 600 की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है, जिस पर प्रतिमाह 325 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल किलक के माध्यम से सीधे खातों में अंतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री सेवा

पखवाड़ा अभियान वर्ष 2025 के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिह्नित दिव्यांगों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण के लिए राशि 6 करोड़ 52 लाख 45 हजार रुपए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम संस्थान को प्रदाय किया गया है।

मेरी सरकार महिला एवं बाल विकास को मानव संसाधन निर्माण की आधारशिला मानते हुए समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 के विज्ञन के अनुरूप कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक 7 लाख 37 हजार गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 50 प्रतिशत बच्चों को सामान्य पोषण स्तर में लाया गया है। महिलाओं और बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके पोषण, स्वास्थ्य एवं धरेलू निर्णयों में सहभागिता को सुदृढ़ किया गया है। योजना प्रारंभ से जनवरी 2026 तक 01 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 50 हजार 469 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का अंतरण किया जा चुका है। योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसी प्रकार, लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने दीर्घकालिक वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिससे अब तक 52 लाख से अधिक बालिकाएँ लाभान्वित हुई हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जनवरी 2026 तक 4 लाख 41 हजार से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कर सुरक्षित मातृत्व, पोषण एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया है। आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में

पोषण ट्रैकर, फेसियल रिकग्निशन सिस्टम एवं वृद्धि निगरानी उपकरणों के माध्यम से सेवा वितरण की रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। 24 हजार 662 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जा रहा है।

महिला एवं बाल सुरक्षा के क्षेत्र में 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर एवं शक्ति सदन के माध्यम से सहायता एवं संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की गई है।

मेरी सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वांगीण सुदृढ़ीकरण को एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ प्राथमिकता प्रदान की है। वर्तमान में प्रदेश में 19 शासकीय एवं 14 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं। शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2025-26 में एमबीबीएस की कुल 5 हजार 550 सीटें, पीजी (MD/MS) की 2 हजार 862 सीटें तथा सुपर-स्पेशलिटी की 93 सीटें उपलब्ध हैं। साथ ही इंदौर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ होने से चिकित्सा शिक्षा के अवसरों में और विस्तार हुआ है।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए मेरी सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से पीपीपी मोड पर जिला चिकित्सालयों को शिक्षण अस्पतालों के रूप में विकसित कर रही है। इस मॉडल में जिला चिकित्सालय की मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए निजी निवेश द्वारा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, जिससे शासकीय संसाधनों पर अतिरिक्त भार डाले बिना चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार संभव हुआ है। इस दिशा में धार, कटनी, बैतूल एवं पन्ना में पीपीपी मोड पर

चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए सफल निजी निवेशकों के साथ लीज एग्रीमेंट निष्पादित किए जा चुके हैं, जबकि भिण्ड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी एवं शाजापुर सहित अन्य जिलों में निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मानव संसाधन की दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य संवर्ग में 3 हजार 850 नवीन पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी एवं दंत चिकित्सक सम्मिलित हैं। इसके साथ ही नर्सिंग ऑफिसर्स, लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर एवं एनएम जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी चरणबद्ध पूर्ति की गई है।

"अनमोल 2.0" का शुभारंभ कर हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की डिजिटल ट्रैकिंग तथा जननी सुरक्षा एवं प्रसूति सहायता योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी भुगतान को समग्र आईडी से जोड़ा गया है। "मातृ शिशु संजीवन मिशन" प्रारंभ कर वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के दौरान राज्यव्यापी अभियान चलाकर फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता संवर्धन तथा SNCU से डिस्चार्ज नवजातों का व्यवस्थित फॉलो-अप सुनिश्चित किया गया।

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में 108 एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली में एएलएस, बीएलएस एवं जननी एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क शव-परिवहन सेवा, तथा ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से

शहरी, ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में त्वरित एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कैथ लैब, ब्रेकीथेरेपी, ड्यूल-एनर्जी लीनियर एक्सेलेरेटर, एमआरआई, सीटी-स्कैन, डायलिसिस, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं अंग प्रत्यारोपण जैसी उन्नत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही टीबी उन्मूलन अभियान, सिक्कल सेल उन्मूलन मिशन, वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, स्वस्थ यकृत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, पत्स पोलियो अभियान तथा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं।

मेरी सरकार की जन-स्वास्थ्य प्रतिबद्धता का खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध सख्त कार्रवाई महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईट राइट अभियान, हाइजीन रेटिंग, क्लीन वेजिटेबल मार्केट एवं सेफ फूड प्लेस प्रमाणन के माध्यम से सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 12 पचास बिस्तरीय एवं 01 तीस बिस्तरीय चिकित्सालय, 85 आयुष औषधालय और बालाघाट में आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2025-26 में 03 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के साथ किए गए एम.ओ.यू. के तहत प्रदेश में 12 आयुष हेल्प एंड वेलनेस केन्द्रों की स्थापना कर वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मेरी सरकार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास का सशक्त माध्यम मानते हुए “समृद्ध मध्य प्रदेश @2047” के विज्ञन के अनुरूप निरंतर कार्य कर रही है। इस विज्ञन के अंतर्गत प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता तथा कक्षा 1 से

12 तक शत-प्रतिशत सकल नामांकन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी प्राप्ति के लिए विस्तृत एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 799 पीएम श्री विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रमुख घटकों—जैसे अनुभवात्मक अधिगम, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा तथा समग्र मूल्यांकन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उल्कर्ष अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के लिए कुल 210 छात्रावासों की स्वीकृति सुनिश्चित की है। इन छात्रावासों में बालक एवं बालिका विद्यार्थियों के लिए पृथक एवं सुरक्षित आवासीय सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।

प्रदेश में नामांकन वृद्धि एवं ड्रॉप-आउट में कमी मेरी सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 के नामांकन में और शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के नामांकन में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग दर को शून्य तक लाया जाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल उद्देश्यों की सफल पूर्ति को दर्शाता है।

मेरी सरकार ने विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रोत्साहन आधारित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 94 हजार 300 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय करने के लिए राशि प्रदान की गई है, जबकि 7 हजार 890 छात्राओं को स्कूटी वितरण कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त अब तक 4 लाख 85 हजार से अधिक साइकिलों का वितरण किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सत्र 2025-26 में लगभग 5 लाख 72 हजार विद्यार्थियों का प्रवेश APAAR ID के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है तथा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 14 लाख 64 हजार विद्यार्थियों का पंजीयन हो चुका है। स्वयं पोर्टल के माध्यम से 4 लाख 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों की डिजिटल अकादमिक सहभागिता सुनिश्चित की गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। विश्व बैंक के सहयोग से 247 महाविद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित की गई है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा उपलब्ध हो रही है। स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 78 हजार 948 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं तथा 12 हजार 619 विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख अवसर प्रदान किए गए हैं।

मेरी सरकार ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, सत्र 2025-26 में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से 1 लाख 91 हजार 130 विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया, जो कि गत सत्र की तुलना में 27 दशमलव 26 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर 21 दशमलव 38 प्रतिशत की प्रवेश वृद्धि सुनिश्चित की है। 10वीं के उपरांत 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 12वीं के समकक्ष मान्यता प्रदान कर व्यावसायिक शिक्षा को सामाजिक स्वीकार्यता एवं नई दिशा दी गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमपीआरडीसी के साथ रोड

इंफ्रास्ट्रक्चर इंटर्नेशिप कार्यक्रम के लिए समझौता किया है। नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में 9 इंक्यूबेशन सेंटर चिन्हित किए गए हैं। RGPV भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर का परिसर स्थापित कर इस सत्र से शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा में कोडिंग लैब प्रारंभ की गई है तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 78 हजार 218 से अधिक विद्यार्थियों को 750 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई है। कौशल विकास के क्षेत्र में, प्रदेश की शासकीय आईटीआई में सत्र 2025 में 94 दशमलव 55 प्रतिशत का ऐतिहासिक प्रवेश दर्ज किया गया है। मेरी सरकार ने आईटीआई में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया है। UN Women के सहयोग से 12 आदिवासी जिलों में 2 हजार 127 महिलाओं को STEM एवं सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

रोजगार के क्षेत्र में, मेरी सरकार ने युवा संगम कार्यक्रम, रोजगार मेलों एवं कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाखों युवाओं को रोजगार, अप्रैटिसशिप एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत 28 हजार 332 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड प्रदान किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने खेल एवं युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। खेल अकादमियों में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल उपकरण तथा विदेश में प्रशिक्षण की

सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। विगत दो वर्षों में खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 74 पदक तथा राष्ट्रीय स्तर पर 438 पदक अर्जित कर प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात में उल्लेख के पश्चात शहडोल जिले के विचारपुर गाँव के फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब द्वारा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होना प्रदेश की खेल प्रतिभा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण है। इन खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को विदेश में प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान किया। इसी क्रम में, वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी सुश्री क्रांति गोड सहित अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मान एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। प्रदेश में खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भोपाल के नाथू बरखेड़ा में लगभग 985 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 'माँ तुझे प्रणाम' योजना, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, खेलो एमपी यूथ गेम्स तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किए हैं। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को भारत का प्रमुख स्पोर्ट्स हब बनाया जाए।

मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर, देवास एवं इंदौर को पुरस्कृत किया गया है तथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और देवास सहित पाँच नगरों में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज हुआ है। पराली जलाने एवं वनाश्चि की निगरानी के लिए NASA FIRMS पोर्टल से सैटेलाइट आधारित जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश में वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और आजीविका सृजन के लिए लगातार महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य, सागर और जहानगढ़ अभ्यारण्य, श्योपुर के गठन से वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिला है और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। साथ ही प्रदेश का प्रथम कंजरवेशन रिजर्व “ताप्ती कंजरवेशन रिजर्व, बैतूल” अधिसूचित किया गया है। “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान में 5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। प्रदेश में 94 नगर वन एवं वाटिकाओं का विकास किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। उज्जैन, सतना, छतरपुर एवं भोपाल में सांस्कृतिक वन भी स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2025 में 17 लाख 12 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण कर 684 करोड़ 80 लाख रुपये तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित किए गए। समग्र बाँस विकास योजना में 14 लाख से अधिक बाँस पौधों का रोपण किया गया है और 1 हजार 431 देव लोक वनों के संरक्षण के लिए योजना प्रस्तावित है। दिसम्बर 2025 में “समृद्ध-वन, खुशहाल-जन” थीम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में दो लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की और 2 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक के वनोपज उत्पादों की बिक्री हुई। मेले में 30 हजार से अधिक लोगों ने निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श लिया। जन-मन कार्यक्रम में 20 जिलों में 126 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसने चीता पुनर्स्थापना की है। गांधीसागर अभ्यारण्य में 3 चीते छोड़े गए हैं। रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को तृतीय चीता रहवास क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश पर्यटन को सशक्त पहचान दिलाने के लिए देश का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट का भव्य आयोजन अक्टूबर 2025 में भोपाल में किया गया जिसमें 27 देशों के 80 से अधिक विदेशी दूर ॲपरेटर्स, 150 घरेलू दूर ॲपरेटर्स सहित 700 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए रीवा तथा ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्वलेव आयोजित किए गए। पर्यटन के संतुलित और सतत विकास के लिए नए पर्यटन स्थलों के विकास और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार के लिये नवीन आयोजनों का प्रस्ताव किया गया है, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, स्थानीय रोजगार सृजन एवं प्रदेश के समग्र पर्यटन विकास को गति मिलेगी।

मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं वैश्विक प्रस्तुतीकरण के लिए निरंतर और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। संस्कृति केवल हमारी पहचान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय चेतना और भावी पीढ़ियों के संस्कारों का आधार है। खजुराहो नृत्य समारोह 2025, बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में मध्यप्रदेश महोत्सव 2025 तथा मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेशन सेंटर में WAVES समिट 2025 के माध्यम से प्रदेश की कला, संगीत, लोक परंपराएँ और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया। कलाकारों और साहित्यकारों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में सहायता राशि को दोगुना किया गया है। 5 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन, गंभीर बीमारी में 50 हजार रुपये की चिकित्सा सहायता

तथा आकस्मिक मृत्यु पर 1 लाख रुपये की सहायता सुनिश्चित की गई है। जनजातीय लोक कलाकारों के लिए मानदेय और भत्तों में भी वृद्धि की गई है।

विरासत संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 2025 अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 499 स्मारक राज्य संरक्षित हैं और 45 संग्रहालयों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर के केन्द्रीय संग्रहालय, रानी दुर्गाविती संग्रहालय जबलपुर, रानी दमयंती संग्रहालय दमोह तथा तुलसी संग्रहालय रामवन सतना के उन्नयन एवं विकास कार्य तीव्र गति से प्रगतिरत हैं। डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप 3D LIDAR स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑनलाइन टिकटिंग, डिजिटल लाइब्रेरी और ई-कॉमर्स पोर्टल जैसी आधुनिक तकनीकों को संग्रहालयों और स्मारकों में लागू किया गया है, जिससे युवाओं और पर्यटकों के लिए विरासत अधिक सुलभ और आकर्षक बनी है। यूनेस्को के साथ निरंतर समन्वय के परिणामस्वरूप प्रदेश के 15 सांस्कृतिक स्थल संभावित विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं, जबकि कुल मिलाकर 18 धरोहरों को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2025 में भगोरिया जनजातीय नृत्य, गोड चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अधोसंरचना के क्षेत्र में महाकाल महालोक, श्रीराम राजा लोक ओरछा, श्रीराम वनवासी लोक चित्रकूट, देवी लोक सलकनपुर, हनुमान लोक पांडुर्णा और सांदीपनि आश्रम लोक जैसे प्रकल्पों ने प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। श्रीकृष्ण पाथेय और राम वन गमन पथ के अंतर्गत स्थलों के विकास एवं दस्तावेजीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ग्वालियर में अटल बिहारी

वाजपेयी स्मारक एवं रिसर्च सेंटर तथा उज्जैन में वीर भारत संग्रहालय के निर्माण के लिए ठोस प्रगति हुई है, जो आने वाले समय में राष्ट्रनायकों के विचारों के प्रमुख केंद्र बनेंगे।

मेरी सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना के संरक्षण के लिए पूर्णतः संकल्पित है। इसी ध्येय के साथ, वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 21 करोड़ 86 लाख रुपये तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशालाओं के निर्माण के लिए 53 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। मंदिरों की व्यवस्था और पुजारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने मानदेय के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से दिसंबर 2025 तक लगभग 22 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। 'मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण' में 111 प्रमुख तीर्थों और 1629 मेलों को पंजीबद्ध किया गया है, जिनमें से 40 प्रमुख मेलों के बेहतर प्रबंधन के लिए 2 करोड़ 80 लाख 75 हजार रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए, मेरी सरकार 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 44 जिलों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईआरसीटीसी की भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों के माध्यम से अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। इस अवधि में कुल 24 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 19 हजार 200 वरिष्ठ नागरिक देश के प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों के सुगम दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि हमारे बुजुर्गों के जीवन में श्रद्धा और सम्मान के नए रंग भर रहा है।

प्रदेश में अधोसंरचना के विस्तार, औद्योगिक निवेश, जलवायु संतुलन, सुरक्षा और बेहतर जीवन सुविधाओं के कारण नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी सरकार नगरों के सुनियोजित, हरित और समावेशी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ हो चुका है। प्रदूषण मुक्त परिवहन के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश ई-वाहन नीति-2025 लागू की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में प्रदेश का अग्रणी स्थान है। अब तक 8 लाख 77 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा अगले पाँच वर्षों में 10 लाख नए आवास निर्मित किए जाएंगे। पी.एम. स्वनिधि योजना से 1 लाख 79 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को 407 करोड़ 97 लाख का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। सिंहस्थ-2028 के गरिमामय आयोजन के लिए 13 हजार 851 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें इंदौर-उज्जैन 6 लेन मार्ग, ग्रीनफील्ड हाईवे एवं उज्जैन बायपास जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 3 हजार 105 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

मेरी सरकार द्वारा नागरिकों को सरल एवं त्वरित सेवाएँ देने के उद्देश्य से वाहन एवं सारथी पोर्टल के माध्यम से 50 सेवाएँ पूर्णतः फैसलेस की गई हैं। ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं तथा 1 लाख 25 से अधिक एमपी ऑनलाइन सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवाओं की पहुँच बढ़ाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूर्ण मोटरयान कर छूट एवं सीएनजी वाहनों पर कर कर में रियायत दी गई है।

सड़क सुरक्षा के लिए प्रदेश में 16 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, IDTR, RDTC एवं 18 जिला ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के माध्यम से तकनीक आधारित, सुरक्षित एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जिससे लगभग 2 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1 लाख 50 हजार तक का कैशलेस उपचार एवं मददगार नागरिकों को सम्मानित किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने शिवपुरी हवाई पट्टी को नवें एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया है। इसी प्रकार, उज्जैन में दसवां एयरपोर्ट विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। विमानन क्षेत्र में निवेश, प्रशिक्षण, पर्यटन एवं रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी-2025 जारी की है। जी.आई.एस.-2025 में हवाई सेवाओं के विस्तार, एम.आर.ओ.हब तथा प्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना के लिए एम.ओ.यू. किए हैं।

मुझे यह बताते हुए विशेष संतोष हो रहा है कि मेरी सरकार ने प्रदेश में 2 हजार 190 किलोमीटर सड़क निर्माण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण तथा 30 वृहद पुल एवं रेलवे ओवरब्रिज पूर्ण किए गए हैं, जिन पर कुल 4 हजार 580 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। साथ ही 992 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण 220 करोड़ रुपए की लागत से किया है। वर्तमान में अनेक महत्वाकांक्षी कार्य प्रगतिरत हैं, जिनमें चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल, भोपाल व ग्वालियर के एलिवेटेड कॉरिडोर, 111 नए

आर.ओ.बी., उज्जैन व सिंगरौली के मेडिकल कॉलेज तथा महाकाल रोपवे परियोजना प्रमुख हैं। ये परियोजनाएं धार्मिक, शैक्षणिक और औद्योगिक कनेक्टिविटी को नई गति देंगी।

मेरी सरकार ने प्रदेश में दीर्घकालिक, तेज, सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रगतिपथ एवं एक्सप्रेसवे नेटवर्क के सशक्त विकास को विशेष प्राथमिकता दी है। प्रदेश में कुल 3 हजार 368 किलोमीटर लंबाई की छह प्रमुख प्रगतिपथ एवं एक्सप्रेसवे परियोजनाएं स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत 36 हजार 483 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में नर्मदा प्रगतिपथ 867 किलोमीटर लंबाई में 5 हजार 299 करोड़ रुपये की लागत से, विध्य एक्सप्रेसवे 676 किलोमीटर लंबाई में 3 हजार 809 करोड़ रुपये की लागत से, मालवा-निमाड़ विकासपथ 450 किलोमीटर लंबाई में 7 हजार 972 करोड़ रुपये की लागत से, अटल प्रगतिपथ 299 किलोमीटर लंबाई में 12 हजार 227 करोड़ रुपये की लागत से, बुंदेलखंड विकासपथ 330 किलोमीटर लंबाई में 3 हजार 357 करोड़ रुपये की लागत से तथा मध्यभारत विकासपथ 746 किलोमीटर लंबाई में 3 हजार 819 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे हैं। ये प्रगतिपथ मेरी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करते हुए औद्योगिक, कृषि, पर्यटन एवं सामाजिक विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करेंगे। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उज्जैन-जावरा ग्रीनफाईल्ड हाईवे, भोपाल पश्चिमी बायपास, सिंहस्थ-2028 से जुड़ी सड़कों तथा एनडीबी, एडीबी और एनएचएआई के साथ बड़े एमओयू के माध्यम से हजारों किलोमीटर आधुनिक मार्गों की स्वीकृति दी है। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, टोल आधारित आत्मनिर्भरता और यूजर-फ्री योजनाओं से सड़क विकास को वित्तीय रूप से सतत बनाया गया है।

पर्यावरण संरक्षण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। लोक कल्याण सरोवर, रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग, बड़े पैमाने पर पौधरोपण, सौर ऊर्जा, प्लास्टिक-फ्री कार्यालय और ट्री-शिपिंग जैसी अभिनव पहलें प्रदेश को हरित विकास की दिशा में अग्रसर कर रही हैं। माइक्रो-सरफेसिंग, एफडीआर, व्हाइट-टॉपिंग, वेस्ट-प्लास्टिक और अल्ट्रा हाई-परफॉर्मेंस कंक्रीट जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा है। "लोक पथ" मोबाइल ऐप, PM-गति शक्ति पोर्टल, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम जैसे डिजिटल नवाचारों से पारदर्शिता, त्वरित समाधान और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

मेरी सरकार द्वारा नांगरिकों को सेवाएं अधिकार के रूप में उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में 735 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं तथा 414 सेवाएं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं। अब तक लगभग 11 करोड़ 97 लाख आवेदनों का समयबद्ध निराकरण किया गया है। "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत 32 सेवाओं को एक ही कार्य दिवस में प्रदाय किया जा रहा है, जिससे 3 करोड़ 23 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं।

मेरी सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 में अब तक 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है। भावांतर योजना के लिए भावांतर हेल्पलाइन, श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण कॉल सेंटर, विभिन्न योजनाओं के लिए सर्वे सुविधा, तथा महिला, बालक, दिव्यांगजन एवं अन्य हेल्पलाइनों का एकीकरण कर सेवा तंत्र को और अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी बनाया है।

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 313 विकासखंडों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे वर्ष 2025-26 में 40 हजार से अधिक विद्यार्थी जुड़े। पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान में 40 लाख से अधिक नागरिकों की सहभागिता रही और अटल भूजल परियोजना के माध्यम से बुदेलखंड के 6 जिलों की 670 ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा के कार्य किए गए। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए नारी शक्ति एवं युवा शक्ति के माध्यम से वृद्ध स्तर पर जनजागरण अभियान चलाए गए जिसमें 11 लाख से अधिक नारी एवं युवाओं ने सहभागिता की। नर्मदा पथ सर्वेक्षण एवं जनजागरण की 12 दिवसीय यात्रा में 16 जिलों की 502 ग्राम पंचायतों में गतिविधियाँ आयोजित की गईं। प्रदेश में विकासखण्ड स्तर पर 26 हजार बावड़ियों की साफ़ सफाई की गई। जल संचय अभियान में 313 विकासखंडों में 500 बोरी बंधान के कार्य किए गए जिसमें 12 लाख से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित हुई।

मेरी सरकार कर प्रशासन को सरल, पारदर्शी एवं करदाता-अनुकूल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जीएसटी अंतर्गत पंजीयन के लिए कर दायित्व की सीमा वस्तुओं के लिए 40 लाख रुपये तथा सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। जीएसटी रिटर्न स्व-निर्धारित प्रणाली पर आधारित है। 2 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 55 हजार 633 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 8 दशमलव 09 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में

जनवरी माह तक 43 हजार 890 करोड़ 90 लाख रुपये का राजस्व संग्रहित किया गया है। डेटा एनालिटिक्स आधारित कार्यवाहियों, पंजीयन सत्यापन के लिए मोबाइल एप, बोगस पंजीयन निरस्तीकरण तथा स्कूटनी एवं ऑडिट की मानक प्रक्रिया के माध्यम से कर अपवंचन की प्रभावी रोकथाम की जा रही है। ईज़ ऑफ हूइंग बिजेस के अंतर्गत पेट्रोल-डीजल खुदरा करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न का प्रावधान किया गया है। करदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल माध्यमों एवं हिंदी चैटबॉट की शुरुआत की गई है। रिस्की व्यवसायियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए 46 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। संपदा 2.0 के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन एवं पेपरलेस पंजीयन किया जा रहा है। 01 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 9 हजार 816 करोड़ 37 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा एक करोड़ से अधिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया गया है। संपदा 2.0 को राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

मेरी सरकार ने जेलों में सी.सी.टी.वी. निगरानी, ई-मुलाकात, टेली-मेडिसिन, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान कार्ड तथा मानसिक एवं आधात्मिक परामर्श जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। अब तक 6 हजार 523 बंदी आधात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। मेरी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कारागार अधिनियम 1894 सहित पुराने कानूनों के स्थान पर "मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएँ एवं बंदीगृह विधेयक, 2024" को पारित किया है। मध्यप्रदेश भारत सरकार के Model Prison and Correctional Services Act, 2023 को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है।

प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस एवं आईटी आधारित सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी, तेज़ और नागरिक-केंद्रित बनाया जा रहा है। प्रदेश की लगभग सभी मिशन-क्रिटिकल शासकीय सेवाओं का 24 घंटे सुरक्षित, स्केलेबल और निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्लाउड सेवाएँ, स्टेट डाटा सेंटर, SWAN, एकल नागरिक डेटाबेस, GIS आधारित प्रणालियाँ, साइबर सुरक्षा (MPCERT) तथा AI/ML, ड्रोन, ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया गया है।

लाडली बहना, संपदा 2.0, UNIPAY-DBT, e-HRMS, MPSSO और Cyber Tehsil जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। GIS, ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से नगरीय नियोजन, भूमि प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण में डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को सशक्त बनाया गया है। आईटी पार्क, IT-ITES, ESDM, GCC, AVGC-XR, सेमीकंडक्टर एवं ड्रोन नीति के माध्यम से निवेश, नवाचार और उच्च कौशल रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही SDC 3.0, साइबर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और नेटवर्क विस्तार पर कार्य जारी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विज्ञान पार्क, बायोटेक पार्क, प्रशिक्षण और स्टार्ट-अप नवाचार केंद्रों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और शोधकर्ताओं को सशक्त किया जा रहा है।

मेरी सरकार 'विरासत के साथ विकास' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु पूर्णतः संकल्पित है। हमारा ध्येय एक ऐसा समावेशी विकास मॉडल निर्मित करना है, जहाँ सामाजिक न्याय और तकनीकी सुदृढ़ता का सामंजस्य हो। इस पथ पर चलते हुए

हमारा अन्नदाता समृद्ध होगा, हमारी मातृशक्ति स्वावलंबी बनेगी और प्रदेश का युवा मात्र 'जॉब सीकर' तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर का 'जॉब क्रिएटर' बनकर उभरेगा।

आज आधुनिक अधोसंरचना, निवेश और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के संगम से हम एक ऐसे विकसित प्रदेश की नींव रखे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का 'पावरहाउस' सिद्ध होगा। जन भागीदारी के अटूट विश्वास के साथ, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मध्यप्रदेश विरासत में छोड़ेंगे जो नवाचार, आर्थिक संपन्नता और सामाजिक न्याय का वैश्विक प्रतिमान बनेगा।

आइए, हम सब मिलकर अपनी संपूर्ण ऊर्जा और निष्ठा के साथ समृद्ध विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ें।

आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ

धन्यवाद।

जय हिन्द - जय मध्यप्रदेश।

(राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण के पश्चात् पूर्वाह्न 11.27 बजे चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया गया.)

11.32 बजे

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए }

श्री सोहनलाल बाल्मीकी -- (xxx)

नेता प्रतिपक्ष(श्री उमंग सिंघार) --(xxx)

अध्यक्ष महोदय- आप बैठें.

11.33 बजे.

अध्यक्षीय व्यवस्था

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शेष अंश
पढ़े हुए माने जाने संबंधी.

अध्यक्ष महोदय- राज्यपाल द्वारा अभिभाषण को सदन में विस्तार से पढ़ा गया है। कुछ अंश पढ़ने से रह गये हैं तो उन अंशों को भी पढ़ा हुआ माना जाकर माननीय सदस्यों द्वारा उसमें शामिल शासन की नीतियों के संबंध में चर्चा की जानी चाहिये। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई.)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

11.34 बजे.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री अजय विश्वोई -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

श्रीमती अर्चना चिटनीस- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा दिनांक 17 फरवरी, 2026 से प्रारंभ होगी।

जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज दिनांक 16 फरवरी, 2026 को सायंकाल 4.00 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय- सदन की कार्यवाही कल दिनांक 17 फरवरी, 2026 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित।

पूर्वाह्न 11.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2026 (28 माघ, शक संवत् 1947) के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोपाल :

दिनांक 16 फरवरी, 2026

अरविन्द शर्मा

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधानसभा।